न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी : संजू चौधरी, आर.जे.एस.
मूल आपराधिक प्रकरण संख्या : 285/2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 421/2022 पुलिस थाना नाथद्वारा
पत्रावली सी.आई.एस. संख्या : 1088/2022
पत्रावली सी.एन.आर. संख्या : RJRS070018902022

राजस्थान राज्य

———परिवादी/अभियोगी

ब ना म

1. प्रवीण पिता राजेश, उम्र 27 वर्ष, निवासी हरीजन बस्ती चौपातों का बाग नाथद्वारा जिला राजसमंद।
2. नवीन पिता हेमंत, उम्र 26 वर्ष, निवासी निचली ओडन थाना नाथद्वारा जिला राजसमंद।

———अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :
1. राज्य की ओर से – विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी श्री कमलेश शर्मा
2. अभियुक्तगण की ओर से – विद्वान् अधिवक्ता श्री दीपक पालीवाल

: : निर्णय : :

दिनांक : 23.06.2025

1. थानाधिकारी पुलिस थाना, नाथद्वारा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 230/2022 अंतर्गत धारा 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता में श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के समक्ष पेश करने पर दिनांक 16.11.2022 को अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के कार्यालय आदेश क्रमांक 126 दिनांक 30.04.2024 की पालना में अन्तरित होकर यह पत्रावली विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2022 को परिवादी कैलाश पिता मीठालाल ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 27.09.2022 को रात करीब 10 पीएम पर बनाम वाला आखाड़ा हनुमान मंदिर के नवरात्रि के दर्शन करने गया। वहां पर प्रवीण तथा

नवीन ने उसको बोला कि पानी की बाल्टी भरकर लाओ तो उसने कहा कि मैंने आज स्नान नहीं की है। मैं पानी नहीं ला सकता। इतने में उन दोनों ने उसे मारना शुरू कर दिया। उन दोनों ने हाथों, लात–घुसों और पत्थरों से लकड़ी से बहुत मारा और बोला अब इस मंदिर में मत आना। उसे वहां पर दर्शन करने आए अन्य प्रकाश तथा वहां रामायण पाठ कर रहे पण्डित जी ने उसे बचाया। उसके सिर, नाक, पांव तथा हाथ पर कई जगह चोटें आईं .....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नाथद्वारा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 421/2022 अन्तर्गत धारा 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता चाक की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण नवीन व प्रवीण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. बाद बहस चार्ज अभियुक्तगण को धारा 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया एवं समझाया गया तथा उसकी विशिष्टियां समझाई गई, जिसे समझ कर अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.ड.1 डॉ. आशीष कुमार, पी.ड.2 कैलाश, पी.ड.3 भूरालाल, पी.ड.4 मांगीलाल, पी.ड.5 भैरूशंकर, पी.ड.6 देवेंद्रसिंह को न्यायालय में परीक्षित करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मजरूह कैलाश के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल करवाने बाबत् एमओ को तहरीर प्रदर्श पी–1, कैलाश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2, घटना रिपोर्ट प्रदर्श पी–3, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–4, नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने से बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिरक्षा में कैलाश द्वारा बयान नहीं देने के संबंध में पुलिस थाना नाथद्वारा को दी गई तहरीर प्रदर्श डी 1 को प्रदर्शित कराया।

5. बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्व किये गये। अभियुक्तगण ने निर्दोष होना एवं झूठा फंसाने का कथन करते हुये प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण के सुविधापूर्वक निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न बनाये जाते हैः–

(1)– क्या अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 27.09.2022 को रात के करीब 10 बजे मौजा बनाम वाला आखाड़ा हनुमान मंदिर में परिवादी कैलाश का सदोष अवरोध कारित करते हुए परिवादी के साथ मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप परिवादी के शरीर पर साधारण प्रकृति की चोट कारित हुई?

– यदि हां तो अभियुक्तगण के लिए उचित दण्ड क्या है ?

7. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क दिया है कि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्को का खण्डन करते हुए कहा है कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया हैं। अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट हुआ है, अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि परिवादी कैलाश माली द्वारा दिनांक 27.09.2022 को अभियुक्त प्रवीण एवं नवीन द्वारा बनाम वाला आखाड़ा हनुमान मंदिर में पानी की बाल्टी भरकर लाने की बात पर परिवादी के साथ मारपीट करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 में उल्लेखित घटनाक्रम को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादी कैलाश को गवाह पीडब्ल्यू 2 के रूप में परीक्षित करवाया गया। मुख्य परीक्षण के दौरान उक्त गवाह ने यह कथन किया कि दिनांक 27.09.2022 को शाम की बात है। वह तेलियों का तालाब में नदी पर स्थित मंदिर में दर्शन करने गया था। वहां पर प्रवीण हरिजन व नवीन ढोली आए, जिन्होंने उसे पानी लाने के लिए बोला तो उसने कहा कि आज वह नहाया नहीं है, इसलिए पानी नहीं ला सकता। इस बात को लेकर दोनों ने

उसके साथ लात–घुसों, पत्थर, लकड़ी से मारपीट करना शुरू कर दिया। गवाह ने मारपीट से सिर, घुटने, हाथ, कमर पर चोटें आने का भी कथन किया। गवाह द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 3, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 4, स्वयं का मेडिकल प्रदर्श पी 2, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 को प्रदर्शित करवाते हुए उक्त फर्दों पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार किए। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने यह कथन किया कि प्रदर्श पी 5 नक्शा मौका पर उसने मौके पर हस्ताक्षर किए थे। झगड़ा हुआ उस वक्त भूरालाल जी मौके पर नहीं थे। भूरालाल जी को मैंने गवाही देने के लिए बुलाया। जब झगड़ा हुआ, उस समय काफी लोग थे, यह बात गलत है। फिर कहा कि झगड़े के वक्त पंडित जी व प्रकाश थे। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि पंडित जी ने गवाही नहीं दी, फिर कहा कि भैरूशंकर पंडित जी गवाह है। गवाह ने इस सुझाव को भी गलत बताया कि अंधेरा होने से उसे पता नहीं कि किस–किस ने मारपीट की। वह प्रवीण व नवीन को पहले से नहीं जानता था। दूसरे लड़कों ने उसे इस दोनों का नाम बताया था।

10. परिवादी के बयानों की ताईद गवाह पीडब्ल्यू 5 भैरूशंकर ने भी की है, जिसने मुख्य परीक्षण के दौरान वर्ष 2022 में रात के 10 बजे के आसपास आखाड़ा हनुमान मंदिर में नवरात्रि के दिन प्रवीण हरिजन व नवीन ढोली द्वारा परिवादी कैलाश के साथ पानी की बाल्टी भरकर लाने के संबंध में लड़ाई–झगड़ा करने तथा कैलाश के साथ लात–मुक्कों व लाठी से मारपीट करने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने यह कथन किया कि कैलाश, प्रवीण, नवीन आपस में मेरी पीठ पीछे बात कर रहे थे। मेरा मुंह आगे की तरफ था, इसलिए किसने किसके साथ मारपीट की, मुझे नहीं पता। फिर कहा कि लड़ते–लड़ते वे लोग मेरे सामने आ गए थे। प्रवीण लाठी लेकर आ गया था।

11. उक्त गवाहों के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पीडब्ल्यू 3 भूरालाल एवं गवाह पीडब्ल्यू 4 मांगीलाल को परीक्षित करवाया गया। उक्त दोनों गवाह घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 के गवाह हैं, जिन्होंने अभियुक्तगण प्रवीण एवं नवीन द्वारा परिवादी कैलाश के साथ मंदिर में मारपीट करने के संबंध में पुलिस द्वारा उनके सामने नक्शा मौका बनाए जाने का कथन किया है। दोनों ही गवाहों ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 पर मौके पर ही हस्ताक्षर

करने का कथन किया है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने भी अभियुक्त प्रवीण एवं नवीन द्वारा परिवादी कैलाश के साथ मंदिर में मारपीट करने के तथ्य को स्वीकार किया है। मारपीट का तथ्य गवाह पीडब्ल्यू 1 के बयानों से भी प्रमाणित होता है, जिसने अपने बयानों में आहत कैलाश के सिर के बाईं तरफ नाक एवं दाएं घुटने पर कुंद हथियार से साधारण प्रकृति की चोट कारित होने के संबंध में साक्ष्य दी है। उल्लेखनीय है कि उक्त सभी महत्वपूर्ण एवं तात्विक गवाहों के बयानों का कोई खंडन अभियुक्तगण की ओर से नहीं किया गया है। ऐसे में अभियोजन की साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है कि दिनांक 27.09.2022 को शाम के करीब 10 बजे अभियुक्तगण प्रवीण एवं नवीन द्वारा परिवादी कैलाश का सदोष अवरोध कर उसके साथ लातों–मुक्कों व लाठी से मारपीट की, जिससे परिवादी कैलाश के साधारण प्रकृति की चोट कारित हुई। लिहाजा अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण प्रवीण एवं नवीन के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 34 भारतीय दंड संहिता संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। लिहाजा अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: **<u>आ दे श</u>** ::

12. अभियुक्तगण प्रवीण पिता राजेश, उम्र 27 वर्ष, निवासी हरीजन बस्ती चौपातों का बाग नाथद्वारा जिला राजसमंद व नवीन पिता हेमंत, उम्र 26 वर्ष, निवासी निचली ओडन थाना नाथद्वारा जिला राजसमंद को धारा 323, 341, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(संजू चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा

<u>सजा के बिन्दू पर:–</u>

13. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्तगण का प्रथम अपराध होने के आधार पर परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया तथा धारा 12 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिये जाने का भी निवेदन किया।

14. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए अभियुक्तगण को कठोर दण्ड देने की प्रार्थना की।

15. न्यायालय ने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं इस परिप्रेक्ष्य मे आपराधिक परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों को गहनता से अवलोकन किया। दौराने अन्वीक्षा भी अभियुक्तगण का आचरण किसी प्रकार से विपरीत नहीं रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2011(2) सी. आर.एल.आर. (राज.) 1050 अशोक उर्फ बंटी उर्फ बिट्टू उर्फ कालिया बनाम राजस्थान व न्यायिक दृष्टान्त 1989 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) पेज 65 भागू उर्फ भागचन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. पेज 2127 हरिकिशन बनाम सुखबीर सिंह, ए.आई.आर.1977 एस.सी. पेज 1991 हंसा बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1972 (एस.सी.सी.) पेज 2334 दौलतराम बनाम हरियाणा राज्य, 2006(3) आर.सी.आर.डी. 198 (राज.) सुरसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता व अन्य अपराधों में परिवीक्षा का लाभ देते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालयों का काम केवल दोषी को सजा देना ही नहीं है बल्कि उसे सुधरने के लिये पर्याप्त अवसर देने का भी कर्तव्य है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2006(3) आर.सी.आर.डी. 198 (राज.) सुरसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैः–

> ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 397/401 – दण्ड संहिता, 1860 – धारा 325, 323, 447 – अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 – धारा 4(1) – पुनरीक्षण – परिवीक्षा का परिलाभ – कब प्रदान किया जा सकेगा – प्रार्थियों को भा.दं.सं. की धारा 325, 323 व 447 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया – विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी के मामले पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अंतर्गत विचार नहीं करने के कोई कारण नहीं दिये गये–प्रार्थीगण पूर्व दोषसिद्ध नहीं थे – घटना क्षणिक आवेश में एक बाड़े के विवाद पर घटित हुई जिस पर दोनों पक्षकार अपना दावा करते हैं – निर्णीत, प्रार्थियों को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावें।

16. इस प्रकार उपर उद्धृत न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त, तथ्य एवं परिस्थितियों की समानता होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। अभियुक्तगण के आरोपित आरोप पत्र में उसकी पूर्व दोषसिद्धि

का कोई उल्लेख नहीं है तथा वर्ष 2022 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, जिसकी पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सरकूलर नम्बर 03/पी.आई./2017 दिनांक 06/02/2017 की पालना में मौखिक कथन किये गये है कि उसे पूर्व में किसी प्रकरण में सजा नहीं हुई है एवं न ही परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है। साथ ही अभियुक्तगण ने आयंदा ऐसा कृत्य नहीं करने का भी कथन किया है। अभियुक्तगण को अपने कृत्य पर पछतावा है, ऐसी स्थिति में यदि अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख नहीं अपनाया गया तो उसमें आपसी सौहार्द का हमेशा के लिए अभाव हो जायेगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध अपराध में आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: **<u>दण्डादेश</u>** ::

17. अभियुक्तगण प्रवीण पिता राजेश, उम्र 27 वर्ष, निवासी हरीजन बस्ती चौपातों का बाग नाथद्वारा जिला राजसमंद व नवीन पिता हेमंत, उम्र 26 वर्ष, निवासी निचली ओडन थाना नाथद्वारा जिला राजसमंद को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर तुरन्त दंडित करने के बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की **धारा 4(1) का लाभ** दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त की ओर से 1 वर्ष की अवधि के लिए **15000/– रूपये का बंध पत्र** इन शर्तो का पेश कर तस्दीक करा दिया जावें कि– वे उक्त अवधि में सदाचारी रहेंगे एवं परिशांति कायम रखेंगे, अपराध की पुनरावृति नहीं करेंगे एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर स्वयं को सजा भुगतने हेतु उपस्थित करा देंगे तो उन्हें परीविक्षा पर रिहा कर दिया जावे।

18. साथ ही प्रत्येक अभियुक्तगण धारा 5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत अभियोजन व्यय के रूप में **300/–रूपये (तीन सौ रूपये) कुल 600/–रूपये** न्यायालय में जमा करवायेंगे। अभियुक्तगण द्वारा अन्वीक्षार्थ प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते है। साथ ही धारा 12 आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत यह दोषसिद्धि अभियुक्तगण के विरूद्ध भविष्य में किसी भी निर्योग्यता के रूप में प्रभाव नहीं रखेगी।

19. अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे धारा **437ए दं.प्र.सं. के तहत पंद्रह–पंद्रह हजार रुपये** के जमानत मुचलके पेश करें जो छः माह की अवधि के पश्चात् स्वतः निष्प्रभावी माने जावें।

(संजू चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा

20. निर्णय आज दिनांक 23.06.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजू चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा